7:59

diversion kh no. 85.2.pdf

Diversion order

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–खंडवा

प्रकरण कमांक 128/अ–2/2011–2012
मौजा – ग्राम रेहमापुर तहसील–खंडवा।
1– श्री कमलेश पिता माणकचंद सेठी जाति जैन
2– श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी जाति जैन
दोनों निवासी संतोषनगर, इन्दौर रोड, खंडवा तहसील एवं जिला–खंडवा।
.... आवेदकगण।

॥ आदेश ॥
(पारित दिनॉक 14–05–2012)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री कमलेश पिता माणकचंद सेठी अन्य–1 निवासी खंडवा द्वारा हस्ताक्षरितएक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरूण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम रेहमापुर तहसील–खंडवा स्थित संयुक्त मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 85/2 रकबा 0.810 हैक्टर का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु चाहा गया । आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी–1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये है।

2– उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि–भिन्न वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तित किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नही हुई। साथ ही संबधित विभाग, उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, छैगांवदेवी जनपद पंचायत, छैगांवमाखन तह0 खंडवा कनिष्ठ यंत्री, मध्यप्रदेश विघुत मंडल, एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रातिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3– उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,खंडवा का पत्र कमांक 924/1169–डाय/नग्रानि./12/966/ खंडवा, दिनॉक 25–4–2012 प्राप्त। जिसमें दर्शित किया ग्राम रेहमापुर की भूमि खसरा नं0 85/2 रकबा 0.810 हैक्टर का "वाणिज्यिक गोदाम प्रयोजनार्थ" हेतु व्यपवर्तन धारित शर्तो के अधीन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

सरपंच, ग्राम पंचायत, छैगांवदेवी जनपद पंचायत, छैगांवमाखन तहसील–खंडवा का अनापत्ति पत्र दिनॉक 14–4–2012 मय ग्राम पंचायत प्रस्ताव ठहराव प्रति सहित प्राप्त। जिसके अनुसार दर्शित है कि आवेदित भूमि ग्राम रेहमापुर खसरा नं0 85/2 रकबा 0.810 हैक्टर आवेदक कमलेश पिता माणकचंद सेठी अन्य एक निवासी, खंडवा के नाम है, इस भूमि का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन "गोदाम निर्माण" हेतु किया जाता है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.खंडवा का पत्र कं0 11–12 दिनॉक 3–5–2012 प्राप्त। दर्शित किया गया कि ग्राम रेहमापुर की भूमि खसरा नं0 85/2 रकबा 0.810 हैक्टर पर किसी भी प्रकार की कोई विघुत लाईन विघमान नही है। भूमि का औघोगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व्यपुवतर्तन किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

4– राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम रेहमापुर भूमि खसरा नं0 85/2 रकबा 0.810 हैक्टर स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्राप्त । जिसके अनुसार आवेदित भूमि ग्राम रेहमापुर प0ह0नं0 40 रा0नि0मंडल छैगांवमाखन तहसील–खंडवा खसरा नं0 85/2 रकबा 0.810 हैक्टर भू0रा0रूपये 1=31 कमलेश पिता माणकचंद एवं आशा पति कमलेश निवासी, खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदकगण ने इस भूमि का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन "गोडाउन" हेतु चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर पड़त है। स्थल पर कोई निर्माण कार्य नही किया है, आवेदित भूमि खंडवा नगर निगम सीमा से करीब 9 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। तथा ग्राम पंचायत, छैगांवदेवी से 3 कि0मी0 की दूरी पर है। आवेदित भूमि ग्राम पंचायत, छैगांवदेवी की परिसीमा में स्थित होकर विकास खंड छैगांवमाखन अन्तर्गत आती है।

14/05/2012

–2–

भूमि का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन "गोदाम" हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण नह होगा। आवेदित भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाईन नही जा रही है। भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नही है। आवेदित भूमि के आस पास सामाजिक भवन नही है। ग्राम रेहमापुर नगरेत्तर (ग्रामीण) क्षेत्र है ग्राम रेहमापुर की मानक दरें स्वीकृत नही है। आवेदित भूमि रकबा 0.810 हैक्टर का क्षेत्रफल वर्गफीट 87150 वर्गफीट (8099 व0मी0) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :–

पूर्व दिशा में	–	रामेश्वर बाई योयल की पड़त भूमि।
पश्चिम दिशा में	–	आवेदक की खसरा नं0 85/1, 85/3 की पड़त भूमि।
उत्तर दिशा में	–	नाला बाद रास्ता
दक्षिण दिशा में	–	नाला है।

मान.न्यायालय अपर कलेक्टर, (अपीलीय न्यायालय) खंडवा द्वारा पारित आदेश अनुसार निर्देशित है कि,ग्रामीण क्षेत्र में म0प्र0भू0रा0संहिता–1959 की धारा 59 में बने नियमों (दो) क (पाच) ख अनुसार भूमि लगानी मूल्य का 33 प्रतिशत राशि जो कि लगभग रूपये 11=70 प्रति 100 वर्गफ व्यावसायिक प्रयोजन